

संशोधित शीर्षक

श्री गोपीलाल आत्मज गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. श्री गोपीलाल आत्मज हजारी कुमावत निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मुक्तक के बजाए का0मु0:-
  - 1/1 श्रीमती गंगा पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला
  - 1/2 श्री नंदराम पुत्र गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला
  - 1/3 श्री शांतिलाल पुत्र गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला (वादी)
  - 1/4 श्रीमती कंकु पुत्री गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला हाल मुकाम कारोई
  - 1/5 श्रीमती सोसर पुत्री गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला हाल मुकाम कारोई
  - 1/6 श्रीमती जमनी पुत्री गोपीलाल कुमावत निवासी गठीला हाल मुकाम केशरपुरा
2. रमा आत्मज हजारी कुमावत निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. नालनराम आत्मज हजारी कुमावत निवासी गठीला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादी:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास  
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 21.09.2021

कास्तकारी वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 12.07.2021 को प्र0सं0 156/2020 प्रथमिक डिक्री किया जाकर कि ग्राम गठीला पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 447 रकबा 1.41 हे0, आराजी संख्या 448 रकबा 0.06 हे0 आराजी संख्या 449 रकबा 0.02 हे0 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.49 हे0 भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने आदेश पीडी/2019/321 दिनांक 27.08.2021 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

कास्तकारी पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्तकारी जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या 3 में अंकित आराजी संख्या 447 रकबा 1.41 आराजी संख्या 448 रकबा 0.06 हे0 आराजी संख्या 449 रकबा 0.02 हे0 गो0मु0 आचा कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.49 हे0 भूमि का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

कास्तकारी वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप में प्रस्तुत किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के अन्तर्गत अंकित खातेदारान के नाम राजस्व

खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
2	3	4	5
शांतिलाल पि० गोपीलाल कुमावत सा० गठीला खातेदार	गठीला (खाता संख्या 23)	447/2	0.4557
	योग	1	0.4557
ककु पुत्री गोपी 1/18 जमनी पुत्री गोपी 1/18 सोसर पुत्री गोपी 1/18 नंदराम पि० गोपी 1/18 शांतिलाल पि० गोपी 1/18 ननादेवी पत्नी स्व० गोपी 1/18 रामा पि० हजारी 1/3 सालगराम पि० हजारी 1/3 कुमावत सा० गठीला खातेदार	गठीला (खाता संख्या 23)	448 447/1 447/3	0.0600 0.1300 0.8243
	योग	3	1.0143
ककु पुत्री गोपी 23/600 गंगादेवी पत्नी स्व० गोपी 23/600 जमनी पुत्री गोपी 23/600 नंदराम पि० गोपी 23/600 रामा पुत्री हजारी 23/100 शांतिलाल पि० गोपी 23/100 सोसर पुत्री गोपी 23/600 कुमावत सा० गठीला खातेदार	गठीला (खाता संख्या 23)	449	0.0200
	योग	1	0.0200

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

*Ray*  
(राजेश सुवालका)  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Ray*  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 2.